

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक-

१०७ निगरानी R - 299 - PBHlog

- 1- मुख्तार छिं जाट पुत्र श्री भीत छिं जाट
 2- पूर्वजीत छिं जाट पुत्र श्री मुख्तार छिं जाट

समस्त निवासीगण ग्राम धुवानी परगना व
जिला शिक्षाक्षेत्र, मध्यप्रदेश

.....प्राथीगण

२१६० वार्षिक वित्तीय संग्रह अधिकारी का विवरण

शारापत छाँ पुत्र सोगत छाँ निवासी ग्राम धुपानी
क्षेत्रीत व जिला शिक्षावर्ष, मध्य०

(७) नाम "महाराजा अन्तर्गत धारा 50 मोप्र०ध०राष्ट्रस्व संहिता विस्तृत आदेश
माननीय श्री स०के०शिंगवरे अपर आषुक्त गवालियर प्रकरण क्रमांक

198/2007-08 अप्रैल आदेश दिनांक 29-12-2008

मानवीय महोदय,

महाद्वय,
पार्थ की निराननी निम्न कारणों से प्रस्तुत है :-

प्राधीन का निरापत्ति के लिए विधान के विवरीत छह कि, निर्णय अधीनस्थ न्यायालय विधि समूह विधान के विवरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

2- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के स्तर्य को ठीक प्रकार से नहीं समझा इस कारण आदेश देने में दुर्दृष्ट हुयी है व आवेदक न्याय पाने से वंचित रहा है। विवादित भूमि 50 सर्व नम्बर ग्राम धुवानी के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 250 का आवेदन अनावेदक का स्थीकार किया है वह आवेदन ग्राह्य योग्य नहीं

आवेदन अनावेदक का स्थीकार किया है वह आवेदन श्राद्ध वा वृत्ति अवेदन कुमार उप्रवाल एजेंट के राजस्थान के ८ नं जनरल प्रेसिडेंसी में अधीक्षित था। आवेदन में कोई आधार प्रस्तुत करने का नहीं था धारा 250 में अधीक्षित का प्रश्न महत्वपूर्ण है। आवेदन में अनावेदक ने कहीं भी वीर्णत नहीं किया कि अनावेदक को बेदखल कष कैसे और किस प्रकार बेदखल किया गया। धारा 250 अधीक्षित का प्रश्न महत्वपूर्ण होता है

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक

निगरानी— 299 / अध्यक्ष / 2009

जिला— शिवपुरी

रथान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.05.16	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री ए० के० अग्रवाल उपस्थित होकर उनके द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 198/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 29.12.08 के विरुद्ध इस न्यायालय में म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार शिवपुरी के द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक 3/2006-07/अ-11 में पारित आदेश दिनांक 10.4.07 के द्वारा अनावेदक शराफत खां के स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक 50 ग्राम धुमानी पर से आवेदक मुख्त्यार सिंह का बेजा कङ्गा हटाये जाने के आदेश दिये जाकर 500/-रुपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। हास आदेश से परिवेदित होकर अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 30.11.07 को अपील निरस्त की जिससे दुखी होकर मुख्त्यार सिंह ने अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जिसमें दिनांक 29.12.08 को आदेश पारित किया जाकर अपील अस्वीकार हुई। जिसके विरुद्ध इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।</p> <p style="text-align: right;">(४)</p>	

2- आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि अनावेदक फईयाज की मृत्यु हो गई है उनके द्वारा वारिसान का आवेदन प्रस्तुत किया जिसकी एक प्रति अनावेदक अधिवक्ता श्री एस० पी० धाकड़ को प्रदाय की । वारिसान का आवेदन स्वीकार किया जाता है इसमें अनावेदक अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है । अतः आवेदक अधिवक्ता लाल स्याई से आज ही संशोधन करें।

3- आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में कहा है कि विवादित भूमि 50 सर्वे नम्बर ग्राम धुवानी के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 250 का आवेदन अनावेदक का स्वीकार किया है वह आवेदन ग्राह्य योग्य नहीं था। धारा 250 में अवधिका प्रश्न महत्वपूर्ण है आवेदन में अनावेदक ने कहीं भी वर्णित नहीं किया कि अनावेदक को बेदखल कब कैसे और किस प्रकार बेदखल किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा पुनः वही निवेदन किया गया है कि आवेदक का कब्जा वापिस करने व अर्थदण्ड सहदण्डित करने का निवेदन किया जाकर निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया है।

4-अनावेदक के अधिवक्ता श्री एस० पी० धाकड़ द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आलोच्य भूमि का वह भूमिस्वामी है जो राजरव अभिलेख से भी प्रमाणित है। आवेदक ने जबरन कब्जा उसकी भूमि पर कर लिया है। विचारण न्यायालय ने सभी तथ्यों पर विचार कर और उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के

पूछात ही आलोच्य आदेश पारित किया है जिसे यथावत रखकर अधीनस्थ न्यायालय ने उचित निर्णय लिया है। अतः अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती आदेश होने से निगरानी निरस्त करने का निवेदन किया है।

4- मैंने उभयपक्ष अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेखों का वारीकी से अध्ययन किया।

5-उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनावेदक फईयाज ऊं छारा दिनांक 19.10.2006 को धारा 250 का आवेदन प्रस्तुत कर तहसीलदार को निवेदन किया कि मुख्यारसिंह आदि ने मुझे पट्टे पर शासन छारा दी गई भूमि सर्वे क्रमांक 50 रकवा 2.020 है 0 की ग्राम धुआनी तहसील व जिला शिवपुरी में स्थित भूमि पर कब्जा कर लिया है। जिसके तारतम्य में नायब तहसीलदार छारा साक्ष्य, राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन, तथा अनावेदक के जबाब आदि से पुष्टि होने के पूछात ही नायब तहसीलदार शिवपुरी छारा अपना आदेश पारित किया है जिसमें अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी एवं अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर छारा पुष्टि की है। अतः तीनो अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती आदेश होने से उनमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ।

6- अतः अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर का प्रकरण क्रमांक 198/2007-08/अपील में पारित आदेश दिनांक 29.12.08 स्थिर रखा जाता है। परिणाम स्वरूप प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

✓

11/६// निग 0 299-अध्यक्ष/09

उभयपक्ष सूचित हो। अधीनस्थ व्यायालयों के अभिलेख
आदेश की प्रति के साथ वापस हों। राजस्व मण्डल का
प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

के. सी. जैन
सदस्य